रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन)04/0007/2003—18 REGISTERED No. DL—(N)04/0007/2003—18

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 29, 2018—जनवरी 4, 2019 (पौष 8, 1940)

No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 29, 2018—JANUARY 4, 2019 (PAUSA 8, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई-400001, दिनांक 3 दिसम्बर 2018

बैविवि.आइबीडी. सं. 4611/23.13.043/2018-19—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (ख) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से 01 दिसम्बर 2018 से निम्नलिखित को हटा दिया जाये:—

"एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड"

सुदर्शन सेन
कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400001, the 3rd December 2018

DBR.IBD. No. 4611/23.13.043/2018-19—In pursuance of clause (b) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the exclusion with effect from December 01, 2018 from the Second Schedule to the said Act of the following:—

"SBM Bank (Mauritius) Ltd."

SUDARSHAN SEN
Executive Director

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF THE PUBLICATIONS, DELHI-110054

BANSHI DHAR DUBEY
Digitally signed by BANSHI DHAR DUBEY
Date: 2018.12.29 17:29:13 +05'30'